

## उद्धरण सूचना

### विषय : शासकीय उपयोग के लिए आवश्यकतानुसार बोलेरो वाहन किराए पर उपलब्ध कराने हेतु सीलबंद बोली आमंत्रण

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार डीओ, नेदुमकंदम, आवश्यकतानुसार महिंद्रा बोलेरो वाहन किराए पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित करता है। बोलियां सीलबंद लिफाफे में "बोलेरो वाहन किराए पर लेने के लिए बोली" लिखकर मंडल कार्यालय, स्पाइसेस बोर्ड, नेदुमकंदम, इडुक्की जिला, केरल- 685 619 को 05.06.2026 को शाम 5.30 बजे तक या उससे पहले प्रस्तुत करें।

### निबंधन एवं शर्तें

1. ठेकेदार/मालिक/ट्रैवल एजेंसी, स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों के फील्ड विजिट, आधिकारिक दौरों और अन्य संबंधित आधिकारिक प्रतिबद्धताओं के लिए परिवहन हेतु चालक और ईंधन सहित अच्छी स्थिति में बोलेरो वाहन उपलब्ध कराया जाए।
2. बीमा, कर और अन्य वैधानिक आवश्यकताएं, ईंधन, स्नेहक, वाहन का रखरखाव और अन्य सभी शुल्क ठेकेदार/मालिक/ट्रैवल एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में, सभी मरम्मत कार्य ठेकेदार/मालिक/ट्रैवल एजेंसी द्वारा स्पाइसेस बोर्ड के प्रति बिना किसी दायित्व के और बिना किसी देरी के किए जाएंगे।
3. किलोमीटर उपयोग और समय का विवरण दर्ज करते हुए दैनिक लॉग बुक को नामित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित डीओ नेदुमकंदम में रखा जाएगा। वाहन का उपयोग बाहरी इयूटी के लिए भी किया जा सकता है; अंतरराज्यीय परमिट और टोल का भुगतान ठेकेदार/मालिक/ट्रैवल एजेंसी द्वारा किया जाएगा। आधिकारिक यात्रा के लिए ट्रिप शीट ठेकेदार/मालिक/ट्रैवल एजेंसी द्वारा भुगतान से पहले उपलब्ध कराई जाएगी।
4. वाहन के चालक सक्षम, सुसंगठित और शालीन व्यवहार वाले होने चाहिए तथा उन्हें संचार के लिए एक मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
5. ठेकेदार/मालिक/ट्रैवल एजेंसी प्रभारी अधिकारी के पूर्व आमंत्रण पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराएगी। आधिकारिक दौरे के कार्यक्रम के अनुसार वाहन के चलने का समय भिन्न हो सकता है और आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय समय से पहले और बाद में भी वाहन उपलब्ध होना चाहिए।
6. भुगतान के लिए केवल वाहन के मालिक के बैंक खाते की जानकारी ही मान्य होगी।
7. कोटेशन प्रस्तुत करने का प्रारूप अनुलग्नक-1 में दिया गया है। अनुबंध के मध्य में दर वृद्धि के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। रनिंग किलोमीटर की गणना केवल स्पाइसेस बोर्ड, डीओ नेदुमकंदम और वापस कार्यालय तक की दूरी के आधार पर की जाएगी।
8. किराये/अनुबंध अवधि के दौरान उक्त वाहन को होने वाली क्षति/दुर्घटना के लिए स्पाइसेस बोर्ड किसी भी प्रकार की जिम्मेदार नहीं होगा।

9. कोटेशन 05.06.2026 को शाम 5.30 बजे डीओ नेदुमकंदम स्थित कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा खोला जा सकता है।
10. पंजीकृत मालिक के आधार कार्ड, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा और टैक्सी के प्रदूषण प्रमाण पत्र की प्रतियां कोटेशन के साथ जमा करनी होंगी, जिसके बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. लागू करों की कटौती के बाद भुगतान की व्यवस्था मासिक आधार पर की जाएगी।
12. स्पाइसेस बोर्ड को एक सप्ताह पहले सूचना देकर किसी भी समय समझौते को रद्द करने का अधिकार है।
13. स्पाइसेस बोर्ड बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
14. आवेदक के खिलाफ स्पाइसेस बोर्ड या किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकारी संस्था में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या कानूनी/मामला लंबित नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई मामला मौजूद है, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

कोटेशन निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए

#### वाहन किराए पर लेने का प्रारूप

क्रमांक	विवरण	दर
1.	वाहन का प्रकार	
2.	दैनिक किराया (चालक भत्ता सहित)	
3.	दैनिक किराए में शामिल न्यूनतम किलोमीटर	
4.	दैनिक किराए में शामिल न्यूनतम घंटे	
5.*	प्रति किलोमीटर अतिरिक्त दर	
6.*	प्रति घंटा अतिरिक्त दर	
7.	रात्रि विश्राम शुल्क	
8.	बोली की तारीख :.....	

#### निबंधन एवं शर्तें

1. समय और किलोमीटर का शुल्क कार्यालय से कार्यालय तक के हिसाब से लिया जाएगा।
2. सभी पार्किंग शुल्क, टोल शुल्क और राज्य शुल्क अतिरिक्त रूप से लिए जाएंगे।
3. सभी कोटेशन में सभी कर और अन्य शुल्क शामिल होंगे।
4. \*अतिरिक्त किलोमीटर या अतिरिक्त घंटों में से जो भी अधिक होगा, उसके लिए शुल्क लिया जाएगा।